



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272441
CG-DL-E-11052026-272441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 316]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

सा.का.नि. 350(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 30 मार्च, 2026 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 225 (अ) दिनांक 30 मार्च, 2026, जो माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2026 से संबंधित है, के हिंदी संस्करण में, पृष्ठ संख्या 1, नियम 1(1) में, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

“इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2026 है।”

[फा. सं. 31011/96/2025-एसटी-1-डीओआर]

मुथुरमन सी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th May, 2026

G.S.R. 350(E).— In the Hindi version of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number G.S.R. 225 (E) dated the 30th March, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 30th March, 2026, relating to Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules, 2026, at page no.1, in rule 1(1), the following rule shall be substituted: -

“इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर निधि निपटान नियम, 2026 है।”

[F. No. S-31011/96/2025-ST-I-DoR]
MUTHURAMAN C., Under Secy.